संख्या: - 1/2022/1/129082/2022/2022(1)/49-3-2022

प्रेषक,

बी0 चन्द्रकला,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 05 जनवरी, 2022

विषय: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये ऋण एवं ब्याज की धनराशि दिनांक 05.01.2022 तक भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: 265/लेखा-अ/एनसीडीसी, दिनांक 08.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दिनांक 05.02.2022 से पूर्व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को आर0टी0जी0एस0 पद्धति के माध्यम से बैंक के निम्न विवरण के अनुसार मूलधन रूपये 30,35,84,400.00 एवं ब्याज रूपये 11,78,95,206.00 अर्थात् कुल धनराशि रूपये 42,14,79,606.00 की वित्तीय स्वीकृत निर्गत करने का अनुरोध शासन से किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में निम्न विवरणानुसार अधोलिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत संदर्भित धनराशि रूपये 42,14,79,606.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

लेखाशीर्षक	धनराशि
2049-ब्याज अदायगियॉं (राजस्व) 01-आंतरिक ऋण पर ब्याज 200- अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 03- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋणों पर ब्याज 32- ब्याज /लाभांश मतदेय -- भारित --	-- 11,78,95,206.00
योग-2049	**11,78,95,206.00**
6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण (पूँजीगत) 108- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज 03- लिये गये ऋण का प्रतिदान 30- निवेश/ऋण मतदेय-- भारित--	-- 30,35,84,400.00
योग-6003	**30,35,84,400.00**
कुल योग-	**42,14,79,606.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- विभाग चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने सम्बन्धी वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-बी0-3-यू0ओ0-02/दस/2022, दिनांक 04.01.2022 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

उक्त आशय का शासनादेश सहकारिता अनुभाग-3 के पत्र संख्या: 1/129082/2022, दिनांक 05.01.2022 द्वारा पूर्व निर्गत किया जा चुका है, इसे यथावत पढ़ा जाय।

भवदीया

बी0 चन्द्रकला
विशेष सचिव।

संख्या: 1/2022/1/129082/2022/2022(1)/49-3-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- उप निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4-सीरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या:265/लेखा-अ/एनसीडीसी, दिनांक 08.12.2021 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

डॉ0 दीपक कोहली
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।